16/9/15

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विमाग गंत्रालय

ः आदेश ः

भोपाल, दिनांक 27 2015

कमांक एफ. 1-10/2009/सात/शा. 6 ---- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्हारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शाजापुर जिले की तहसील शुजालपुर के राजस्व वृत्त अवंतीपुर बड़ौदिया के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 43 एवं 51 से 54 तक कुल 10 पटवारी हल्के एवं तहसील गुलाना के राजस्व वृत्त सुंदरसी के पटवारी हल्का कमांक 25 से 28 एवं 34 से 38 तक कुल 07 पटवारी हल्कों को अपवर्जित करते हुए तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना की सीमाओं में परिवर्तन करती है और उक्त कुल 17 पटवारी हल्कों तथा 45 ग्रामी को रामाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील पोलायकला का सुजन करती है। उक्त तहसील का गुरुयालय पोलायकला में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कलेक्टांरेट आजादुर क्रम ह.1.64-ति.....

> कमांक एफ. 1-10/2009/सात/शा.६ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विमाग की अधिसूचना कमांक एफ. 1-10/2009/साल/शा. 6 दिनांक 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> > मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

1001 REITS

1001 PERIS

1001 PERIS

1001 PERIS

1001 PERIS

1000 P